प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 26 दिसम्बर, 2019

विषय: कै0 प्रज्ञेश मिश्र तथा कै0 दीपक श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग एकेडमी प्रा0लि0, बंगलुरू में कराए गए प्रशिक्षण हेतु अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-518/ना0उ0नि0/लेखा/2019 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 में किए गए प्रस्ताव के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या-48/2019/1000/छप्पन-2019-40/2017, दिनांक 23 मई, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में कै0 प्रज्ञेश मिश्र, पायलट(रोटर विंग) को दिनांक 26 जुलाई, 2019 से 29 जुलाई, 2019 तक एवं कै0 दीपक श्रीवास्तव, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 27 अगस्त, 2019 से 30 अगस्त, 2019 तक राजकीय हेलीकाप्टर बेल 412 के सिमुलेटर पर मेसर्स हैट्स ऑफ ट्रेनिंग एकेडमी प्रा0लि0, बंगलुरू में क्रिटिकल इमरजेंसी ट्रेनिंग तथा ग्राउण्ड रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराए जाने हेतु श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-48/2019/1000/छप्पन-2019-40/2017, दिनांक 23 मई, 2019 द्वारा यात्रा व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 95,000/- (रूपए पंचानबे हजार मात्र) को समायोजित करते हुए अतिरिक्त व्यय की गई धनराशि रू0 22,400/- (रूपए बाइस हजार चार सौ मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपरोक्तानुसार इंगित शासनादेश संख्या-48/2019/1000/छप्पन-2019-40/2017, दिनांक 23 मई, 2019 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 22,400/- (रूपए बाइस हजार चार सौ मात्र) एवं पूर्व में निर्गत धनराशि क्रमशः रू0 95,000/- (रूपए पंचानबे हजार मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 1,17,400/- (रूपए एक लाख सत्रह हजार चार सौ मात्र) के समायोजन से शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 122/2019/2224(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।

7- सम्बन्धित पायलटगण।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।